

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

कार्यालय आदेश

क्रमांक: प./प्राति.1/यूचि./नियमित/2017/

दिनांक:

प्रशासनिक विभाग के आदेश क्रमांक प.10(29)आयु/2017 दिनांक 08.01.2018 के अनुसार निम्न यूनानी चिकित्साधिकारियों को उनके 2 वर्षिय परीक्षाकाल प्रथम कार्य ग्रहण दिनांक से पूर्ण होन पर वित्त विभाग के परिपत्र एक-1 (2)एफडी/रूल्स/2006 पार्ट-1 दिनांक 22.05.2009, 11.06.2014 एवं 07.08.2014 के अनुसरण में नियमित वेतन स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप इन्हें निम्नानुसार राजस्थान सिविल सेवा (रिवाइज्ड पे) नियम 2017 में दो वर्ष का परीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक से पे भेट्रिक्स लेवल एल-14 में मूल वेतन 56100/- अक्षरे छपन हजार, एक सौ रूपये पर देय अन्य परिलब्धियां नियमानुसार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम यूनानी चिकित्सक / यूनानी चिकित्साधिकारी	पिता पति का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	चिकित्सक पद पर कार्यारम्भ दिनांक	दिनांक जिससे नियमित वेतनमान दिया जाना है
1	NARESH PAL YADAV	नागरमल	सीएचसी फुलेरा, जयपुर	15.06.82	13.08.15 A.N.	20.08.17 A.N.
2	SHAHIN AKHTAR	इजहार अहमद	फतेहपुर, सीकर	30.01.78	14.08.15	20.09.17

निदेशक

क्रमांक: प./प्राति.1/यूचि./नियमित/2017/577-604

दिनांक: 20/01/18

- प्रतिलिपि :-
1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 2. वरिष्ठ चिकित्सक राजकीय यूनानी चिकित्सालय फतेहपुर-सीकर।
 3. कार्यालय लेखाशाखा।
 4. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री
 5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Dr. Anand Kumar
सहायक निदेशक